कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0 / एस0एस0 –1 / श0स्था0नि0 / 144170 / 2180 दिनांकः– 16.1.15

सेवा में,

**सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग**
**बिहार सरकार, पटना**

महाशय,

नगर पंचायत, झाझा के वर्ष 2013–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 532 / 14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

16/01/15
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
23 JAN 2015
संख्या 737
बिहार, पटना

# नगर पंचायत, झाझा
# निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–532/14–15

## भाग– ।

### 1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, झाझा (जमुई) के लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2013–14 के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना के स्थानीय लेखापरीक्षा के अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 11.06.14 से 18.06.14 तक की गई।

### 2. प्रशासन

| क्र0सं0 | पद | पदधारी का नाम | कार्य अवधि |
|---|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष | (क) श्री मोहन पासवान | 01.04.13 से 31.03.14 |
| 2. | उपाध्यक्ष | (क) श्री संजय कुमार यादव | 01.04.13 से 31.03.14 |
| 3. | कार्यपालक पदाधिकारी | (क) श्री अवधेश कुमार नेपाली | 01.04.13 से 24.03.14 |
| | | (ख) श्री मुन्ना प्रसाद सिंह | 25.03.14 से 31.03.14 |

### 3. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी लंबित कंड़िकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन

नगर पंचायत, झाझा के द्वारा अनेक बार अनुरोध किये जाने के बावजूद पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी लंबित कंड़िकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके कारण पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी लंबित कंड़िकाओं का निष्पादन नहीं किया जा सका। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंड़िकाओं का अनुपालन नहीं किये जाने से लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति विफल हो जाती है।

अतः, नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस प्रतिवेदन सहित सभी लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को भेज दिया जाय ताकि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी लंबित कंड़िकाओं का निष्पादन किया जा सके। अतः कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लंबित कंडिकाओं के निराकरण करने की दिशा में उचित कदम उठाये जाने का सुझाव दिया जाता है।

### 4. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप

लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों पर बिन्दुवार नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ लेखापरीक्षा के दौरान समय– समय पर वार्त्तालाप की गईं एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अंतिम रूप से वार्ता दिनांक 18.06.14 को की गयी।

### 5. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना लेखापरीक्षा की गई अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– । में तथा अनुपलब्ध असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– ॥ में दी गई है।

## 6. वित्तीय अधिदृश्य

(क) नगर पंचायत, झाझा के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक आरम्भिक शेष, प्राप्ति, व्यय एवं अधिशेष का विवरण निम्नवत है–

| क्र0सं0 | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष | 4,78,94,621.15 |
| 2 | प्राप्ति | |
| (i) | अनुदान | 3,72,39,228 |
| (ii) | स्वयं के स्त्रोतों से आय | 27,22,776 |
| (iii) | ब्याज | 2,08,090 |
| 3. | वर्ष की प्राप्ति (i+ii+iii) | 4,01,70,094 |
| 4. | कुल आय (1+3) | 8,80,64,715.15 |
| 5. | व्यय | 2,08,42,465 |
| 6. | अन्तशेष (4-5) | 6,72,22,250.15 |

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– VI पर)

बैंक/ कोषागार शेष का विवरण निम्न प्रकार है–

| क0सं0 | मद का नाम | बैंक का नाम व पता | खाता सं0 | 31.03.2014 को बैंक शेष |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BRGF | SBI,Jhajha | 30376534373 | 75,73,576 |
| 2. | SJSRY | SBI,Jhajha | 11454021182 | 53,49,133 |
| 3. | Census | SBI,Jhajha | 11454025891 | 21,622 |
| 4. | Shop | SBI,Jhajha | 32196512326 | 2,27,033 |
| 5. | P/L A/c | Treasury Jamui | PLA066 | 2,04,84,709 |
| 6. | SJSRY | Uco Bank,Jhajha | 2910100007376 | 10,90,454 |
| 7. | General | SBI,Jamui | 11212445291 | 3,26,71,184 |
| | | | | 6,74,17,711 |

नगर पंचायत, झाझा द्वारा 31.03.2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया। अंकेक्षण आपत्ति के संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः रोकड़ शेष एवं बैंक शेष/ट्रजेरी शेष में अन्तर रु0 1,95,461 का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण को दिखलाया जाय।

## 7 घाटे का एवं यथार्थ से परे बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करेगा एवं धारा 84 के अनुसार नगरपालिका बजट प्राक्कलन एवं सशक्त स्थायी समिति को यदि कोई अनुशंसा हो तो उस पर विचार करेगी एवं 15 मार्च तक नगरपालिका ऐसे परिवर्तन के साथ अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे। अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजा जाएगा एवं राज्य सरकार 31 मार्च तक परिवर्तन/बिना परिवर्तन के साथ नगरपालिका को वापस लौटा सकेगा।

नगर पंचायत झाझा द्वारा वर्ष 2013–14 का बजट तैयार करने में सरकारी दिशानिर्देश का पालन नहीं किया गया था तथा वास्तविक आय–व्यय एवं बजट में अंकित आय–व्यय में काफी अन्तर था। विवरण निम्नवत है –

| वर्ष | विवरण | बजट | वास्तविक | अन्तर | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्ति | 11,37,96,000.00 | 8,82,80,761.00 | 2,55,15,239.00 | 29.00 |
| | पूंजीगत एवं राजस्व व्यय | 11,52,46,252.00 | 6,72,22,250.00 | 4,80,24,002.00 | 71.00 |
| | घाटे का बजट | 1450252.00 | | | |

**अंकेक्षण आपत्तिः**

(क) उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 में 14,50,252.00 रूपये घाटे का बजट बनाया गया था जबकि सरकार द्वारा घाटे का बजट बनाने पर रोक है तथा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय–व्यय में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा एक ओर घाटे का बजट बनाया गया तथा दूसरी ओर अन्तर का प्रतिशत काफी अधिक था अर्थात बजट यर्थाथ से काफी परे था।

नगर परिषद द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में सरकारी निर्देशों का पालन किया जायगा।

## 8. लेखापरीक्षा परिणाम

| विवरण | राशि |
|---|---|
| लेखापरीक्षा के दौरान वसूल की गई राशि | शुन्य |
| लेखापरीक्षा द्वारा वसूली हेतु सुझाई गई राशि | 5630255.00 |
| आपत्ति के अधीन रखी गई राशि | 73475.00 |
| अधिभार प्रस्ताव | शुन्य |

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– IX पर)

## 9. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत निधि के लेखाओं के संधारण में सुधार की काफी आवश्यकता है। रोकड़ बही का मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक योग नहीं किया गया था, सामंजन पंजी का संधारण नहीं किया गया था। शुल्क एवं करों से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इन पंजी/अभिलेखों का संधारण नहीं किये जाने से किसी भी वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि विहित संधारण की दिशा में उचित कदम शीघ्र उठाया जाय। बकाया करों एवं शुल्कों की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप सभी प्रकार के शुल्क एवं करों की वसूली की जाय, ताकि पंचायत निधि की आर्थिक स्थिति को सुदृढ किया जा सके एवं किसी भी अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

## भाग – II

## खण्ड– (क)

**1. ब्रेडा द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर सोलर लाईटों का क्रय कर अधिष्ठापन में अधिक भुगतान ₹4.98 लाख**

नगर पंचायत, झाझा द्वारा प्रस्तुत सोलर लाईट अधिष्ठापना से संबंधित संचिकाओं के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय पत्रांक 560 दिनांक 26.08.10 के अनुरूप M/s जगदेव यादव, सोहजाना, झाझा को निम्नलिखित योजनाओं में सोलर लाईट स्थापना का आपूर्त्ति आदेश निर्गत किया गया। सोलर लाईट का स्वीकृत दर ₹26,740 प्रति सोलरलाईट निर्धारित किया गया। इस कार्य हेतु कोई निविदा आमंत्रित नहीं किया गया। स्थापित सोलर लाईटों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है–

| क्र0 सं0 | योजना सं0 | मद का नाम | स्थापित सोलर लाईटों की सं0 | विपत्र सं0/ तिथि | विपत्र की राशि | भुगतान की राशि (₹) | चेक सं0/ तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 34/12-13 | 13th F.C. | 18 | 31/02.09.12 | 481317.00 | 435477.00 | |
| 2 | 25/12-13 | " " | 17 | 35/02.12.12 | 454577.00 | 411285.00 | 552950/ 23.02.13 |
| 3 | | | 17 | 33/25.11.12 | 454577.00 | 411285.00 | |
| 4 | 36/12-13 | सामान्य निधि | 18 | 36/26.12.12 | 481317.00 | 435477.00 | 562959 |
| 5 | 36/12-13 | सामान्य निधि | 12 | 37/30.12.12 | 320878.00 | 290318.00 | 562960 |
| 6 | 27/12-13 | 13th F.C. | 10 | 38/10.01.13 | 267398.00 | 241932.00 | 562961 |
| | | | 92 | | 2460064.00 | 2225774.00 | |

**लेखापरीक्षा अभियुक्ति –**

(i) निदेशक, ब्रेडा पटना के पत्रांक 1510 दिनांक 27.09.13 के अनुसार 11 Watt CFL Based तथा Tubular Flooded वाले सोलर लाईट का Net Price ₹21,325 है जबकि M/s जगदेव यादव का दर ₹26,740 अर्थात् प्रति सोलर लाईट ₹5,415 अधिक था। जबकि M/s जगदेव यादव द्वारा समर्पित कोटेशन के अनुसार सोलर लाईट की specification/ configuration भी 11

watt CFL तथा Tubular Flooded Battery ही है। इस चार योजनाओं में अधिष्ठापित कुल 80 सोलर लाईटों के लिए ₹498180 (92x5,415) का अधिक भुगतान किया गया।

इस संबंध में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि निविदा पूर्व में निकाली गई। पुनः सरकारी पत्र सं0–3396/न0वि0वि0 दिनांक 26.06.08 के आधार पर बार– बार निविदा निकालना उचित नहीं समझते हुए तथा उप विकास आयुक्त, जमुई के पत्र सं0–1101 दिनांक 22.05.10 द्वारा स्वीकृत दर से कम पर क्रय किया गया।

जवाब अमान्य है क्योंकि उप विकास आयुक्त, जमुई के पत्र सं0–1101 दिनांक 22.05.10 में यह नहीं कहा गया है कि ब्रेडा द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर सोलर लाईटों का क्रय किया जाना है।

अतः अधिक भुगतान ₹498180 की वसूली संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

**2. अधिक दर पर सफाई कार्य कराये जाने के कारण अधिक भुगतान ₹1.81 लाख**

नगर पंचायत, झाझा अन्तर्गत सफाई कार्य हेतु सफाई कर्मियों की आउटसोर्सिंग हेतु दिनांक 30. 05.13 को निविदा आमंत्रित की गयी थी। निविदा की शर्त्तों (1) के अनुसार वैसे एजेन्सी/एन0जी0ओ0/ निबंधित ट्रस्ट कोटेशन देने योग्य होंगे जो पूर्व में किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं रहे हों। एतद् शपथ पत्र दायर करना होगा। इसके साथ श्रम निबंधन प्रमाण पत्र एवं तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना आवश्यक होगा। शर्त्त (2) के अनुसार सफाई कार्य में लगने वाले 60 सफाई कर्मी का दर अंकित करना होगा।

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि निविदा में दो निविदादाता शामिल हुए।

1. विमल कुमार गुप्ता, साहेजाना, झाझा
2. Tania Foundation, Bhagalpur.

श्री विमल कुमार गुप्ता द्वारा केवल श्रम निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित किया गया जो कि केवल कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सं0–2, झाझा हेतु ही विविध मान्य था। निबंधन प्रमाणपत्र मात्र 20 मजदूरों के लिए था तथा मात्र 06.09.13 तक ही वैध था। इनके द्वारा कोई भी अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया।

Tania Foundation द्वारा तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया था जबकि श्रम निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया था। श्री विमल कुमार गुप्ता द्वारा आमंत्रित दर ₹167 प्रतिमजदूर (152+15) था। जबकि Tania Foundation का दर मात्र ₹150 था।

तानिया फाउण्डेशन का निविदा यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया गया कि "तानिया फाण्डेशन का निविदा में मांगी गयी जमानत राशि एवं लेबर लाईसेंस नहीं है। जबकि जमानत राशि मात्र सफल निविदादाता को ही देना था। श्री विमल कुमार गुप्ता का निविदा यह कहते हुए स्वीकृत कर लिया गया कि "विमल कुमार गुप्ता का कागजात सही पाया गया एवं दर भी सही है।" विदित हो कि श्री विमल

कुमार गुप्ता का लेबर लाईसेंस मात्र कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल–2, झाझा हेतु ही मान्य था दर भी Tania Foundation से अधिक था। वित्तीय वर्ष 13–14 में श्री विमल कुमार गुप्ता को सफाई कार्य हेतु किए गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है–

| क्र0सं0 | अवधि | मजदूरों की सं0 | भुगतान राशि (₹) | चेक सं0 / तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.06.13 से 06.07.13 | 540 | 90,184 | 562983 / 1.8.13 |
| 2 | 07.07.13 से 06.08.13 | 514 | 3,03,439 | 562987 / 4.9.13 |
| | 07.08.13 से 31.08.13 | 433 | | |
| | 25.07.13 से 31.08.13 | 870 | | |
| 3 | 01.09.13 से 30.09.13 | 1081 | 1,80,527 | 563216 / 4.10.13 |
| 4 | Oct. 13 | 1274 | 2,12,758 | 563227 / 1.11.13 |
| 5 | Nov. 13 | 1269 | 2,11,923 | 563233 / 2.12.13 |
| 6 | Dec. 13 | 1188 | 1,98,396 | 563254 / 3.7.14 |
| 7 | Jan. 14 | 1227 | 2,04,909 | 563290 / 10.2.14 |
| 8 | Feb & Mar 14 | 2275 | 3,79,925 | 563508 / 22.4.14 |
| | | 10671 | | |

**लेखापरीक्षा अभियुक्ति –**

(i) श्री विमल कुमार गुप्ता का दर ₹167 प्रति मजदूर था जबकि Tania Foundation का मात्र रू0 150 । इस प्रकार श्री विमल कुमार गुप्ता को प्रति मजदूर ₹17 का अधिक भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 13–14 में श्री गुप्ता को कुल 10671 मजदूरों का मजदूरी भुगतान किया गया। इस प्रकार श्री गुप्ता को ₹1,81,407 का (10671x17) अधिक भुगतान किया गया।

(ii) श्री विमल कुमार गुप्ता का लेबर लाइसेंस मात्र 20 मजदूरों के लिए था वह भी सिर्फ 06.09.13 तक ही वैध था जबकि श्री गुप्ता द्वारा 46 मजदूरों से कार्य कराया गया। लेबर लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद भी उनके द्वारा कार्य कराया गया। श्री गुप्ता का लेबर लाइसेंस केवल कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल–2, झाझा हेतु मान्य था जबकि उसी आधार पर उन्हें नगर पंचायत में कार्य की अनुमति दे दिया गया।

इस सम्बन्ध में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि तानिया फाउण्डेशन, भागलपुर द्वारा लेबर लाइसेंस नहीं दिया गया जो सफाई कर्मी उपलब्ध कराने का मुख्य शर्त था इस कारण उनका निविदा रद्द कर विमल कुमार गुप्ता का दर स्वीकृत किया गया। विमल कुमार द्वारा लेबर लाइसेंस 100 लेबर का प्राप्त है।

जवाब अमान्य है क्योंकि निविदा आमंत्रण सूचना में इस बात की कोई चर्चा नहीं थी कि लेबर लाइसेंस सफाई कर्मी उपलब्ध कराने का मुख्य शर्त है। विमल कुमार का लेबर लाइसेंस 100 लेबर का है संदेहास्पद है क्योंकि Extension समुचित प्रारुप में नहीं था। अतः अधिक भुगतान ₹1,81,407 की

(197)

वसूली संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

### 3. सैरात बन्दोबस्ती की पूर्ण राशि की वसूली नहीं ₹2.27 लाख

सैरात बंदोबस्ती की संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सैरात बन्दोबस्ती की पूर्ण राशि की वसूली संबंधित बंदोबस्तकारों से नहीं किया गया था। विवरण निम्न प्रकार है–

| क0 सं0 | सैरात का नाम | सुरक्षित जमा राशि | बन्दोबस्ती की राशि | बन्दोबस्तकार का नाम | जमा राशि | कम जमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बस पड़ाव | 4,67,000 | 7,85,000 | श्री अजय कु0 यादव | 5,88,750 | 1,96,250 |
| 2. | प्रवेश शुल्क | 70,501 | 72,000 | श्रीमती रिंकु देवी | 41,150 | 30,850 |
| | | | | | | 2,27,100 |

जबकि एकरारनामा की शर्तों के अनुसार बस पड़ाव की राशि फरवरी 14 तथा प्रवेश शुल्क की राशि एकरारनामा की तिथि के तीन माह के अन्दर जमा कर देना था। पूर्ण राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में एकरारनामा रद्द कर दिए जाने का प्रावधान था जो कि नहीं किया गया।

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि वसूली की कारवाई की जा रही है।

अतः कम वसूली गई बन्दोबस्ती की राशि ₹2,27,100 की वसूली संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

## भाग– II (ख)

### 1. बकाया मकान कर

नगर पंचायत द्वारा बकाया मकान कर से संबंधित पंजी का संधारण किया गया था जो किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था। नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत बकाया मकान कर से संबंधित विवरणी के अनुसार 31.03.14 तक कुल ₹36,27,450 बकाया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– III पर)

इस सम्बन्ध में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अतः बकाया मकान कर ₹36,27,450 की वसूली की जाय एवं नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

**2. संचार (मोबाइल) टावरों का पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की बकाया राशि ₹9.76 लाख**

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3691/08.10.12 के द्वारा जारी अधिसूचना एवं बिहार मीनार संरचना नियमावली 2012 के उपबंध 6(1)(।) के अनुसार निगम क्षेत्रान्तर्गत टावर के पंजीकरण शुल्क ₹30,000 एवं नवीकरण शुल्क ₹8,000 प्रतिटावर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया जो नगर पंचायत को वसूलना है।

उपबन्ध 6(2) के अनुसार, उपयुर्क्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपर्युक्त वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

यद्यपि, नगर पंचायत कार्यालय द्वारा टावर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल टावरों की सं0, स्थापना वर्ष, मांग एवं वसूली तथा बकाया राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि नगर पंचायत के द्वारा कुल 17 मोबाईल टावरों (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– IV पर) की सूची अंकेक्षण में उपलब्ध करायी गई, जिसके अनुसार दिनांक 31.03.14 तक इन टावर कम्पनियों पर कुल ₹9,76,000 बकाया था।

इस सम्बन्ध में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अतः, उपर्युक्त टावरों के पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की कुल बकाया राशि ₹9,76,000 की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय तथा टावर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण किया जाय एवं फलाफल से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

**3. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि संबंधित विभाग को प्रेषित नहीं किया जाना ₹1.92 लाख**

बिहार प्राथमिक शिक्षा उपकर अधिनियम,1959 तथा स्वास्थ्य उपकर नियमावली, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर अधिरोपित किया है।

नियमतः शिक्षा एवं स्वास्थय उपकर की वसूली गयी राशि का 10 प्रतिशत वसूली खर्च के रूप में कटौती कर शेष राशि राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में प्रेषित कर दिया जाना था। परन्तु झाझा नगर पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान झाझा नगर पंचायत द्वारा वसूली गई तथा प्रेषित की जाने वाली शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि का विवरण निम्न प्रकार है–

| | |
|---|---|
| शिक्षा उपकर की वसूली गयी राशि | 1,07,043 |
| स्वास्थ्य उपकर की वसूली गयी राशि | 1,06,842 |
| कुल | 2,13,885 |
| वसूली का खर्च | 21,388 |
| प्रेषण योग्य राशि | 1,92,497 |

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर जमा कर दिया जायेगा।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि ₹1,92,497 राज्य सरकार की संबधित शीर्षों में प्रेषित कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

**4. सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण संभावित राजस्व की हानि ₹0.44 लाख**

सैरातों से सम्बन्धित संचिकाओं के अवलोकन से पता चला की कुछ सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं किया गया था और न ही विभागीय संग्रह किया गया था। विवरण निम्न प्रकार है–

| क0 सं0 | सैरात का नाम | सुरक्षित जमा राशि | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|
| 1. | साईकिल रिक्शा रजिस्ट्रेशन शुल्क | 34,500 | 12–13 तथा 13–14 में बन्दोबस्ती किया गया। विभागीय वसूली का आदेश E.O द्वारा निर्गत किया गया |
| 2. | डॉ0 तसलीमउददीन के क्लीनिक से जे0 सी0 साह रोड तक एक तरफ साईकिल/मोटर साईकिल/चार चक्का वाहन स्टैण्ड | 10,200 | विवादास्पद होने के कारण स्थगित परन्तु विवाद का पूर्ण विवरण नहीं |
| | | 44,700 | |

इस सम्बन्ध में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण विभागीय वसूली नहीं किया जा सका। जवाब संतोषप्रद नहीं है।

इस प्रकार बन्दोवस्ती नहीं होने से नगर पंचायत कम से कम ₹44,700/– की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा। भविष्य में बन्दोबस्ती नहीं होने की स्थिति में विभागीय वसूली किया जाय।

**5. वैट की कटौती तथा जमा नहीं**

(i) Tractor का टायर का कय दिनांक 18.12.13 को Auto Spares Parts, Pipradih, Jhajha से ₹15000 में किया गया था जिसमें ₹1,784 वैट सम्मिलित था। फर्म द्वारा वैट कटौती नहीं करने हेतु Form C-III भी विपत्र के साथ संलग्ण नहीं था। फिर भी वैट की कटौती नहीं की गयी।

(ii) M/S Jagdeo Yadav, Sohjana, Jhajha से इलेक्ट्रीक सामग्री का कय किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

| क0 सं0 | फर्म का नाम | सामग्री | भुगतान की गयी राशि | वैट की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M/S Jagdeo Yadav, Sohjana, Jhajha | CFL,Holder,Wire etc | 9,723 | 463 |
| 2. | M/S Jagdeo Yadav, Sohjana, Jhajha | CFL,Holder,Wire etc | 13,480 | 674 |
| | | | | 1,137 |

वैट कटौती की राशि ₹1,137 सम्बन्धित विभाग को प्रेषित नहीं किया गया था।

इस सम्बन्ध में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि शीध्र जमा कर दिया जायेगा।

वैट की राशि ₹1784/– की वसूली की जाय तथा ₹2921 (₹ 1784 +₹ 1137) सम्बन्धित विभाग को प्रेषित कर अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

**6. छठ घाट की साफ सफाई पर व्यय**

अभिश्रवों की नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि छठ घाट की साफ सफाई JCB तथा Tractor से कराई गई थी। विवरण निम्न प्रकार है–

| क0सं0 | सफाई का माध्यम | घंटों की सं0 | दर प्रतिघंटा | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JCB | 40 | 800 | 32,000 |
| 2. | Tractor | 26 | 550 | 14,300 |
| | | | | 46,300 |

**टिप्पणी**

(i) JCB द्वारा कराये गये कार्य का भुगतान रु0 32,000 सादे कागज पर किया गया था, जिस पर प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर तथा JCB का सं0 अंकित नहीं था।

(ii) Tractor द्वारा कराये गये कार्य के अभिश्रव पर Tractor का सं0 अंकित नहीं था।

(iii) दोनों अभिश्रवों पर सफाई निरीक्षक का हस्ताक्षर नहीं था।

इस सम्बन्ध में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि हस्ताक्षर भूलवश छुट गया था जिसे करा लिया जायेगा।

त्रुटियों का निराक़रण कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय तबतक व्यय की राशि ₹46,300 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

**7. भण्डार पंजी का संधारण नहीं किया जाना**

अभिश्रवों की नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि कार्यालय कार्य हेतु क्रय की गयी स्टेशनरी, बिजली सामग्री इत्यादि की प्रविष्टि भण्डार पंजी नहीं किया गया था। विवरण निम्न प्रकार है–

| क0सं0 | फर्म का नाम | सामग्री | भुगतान की राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | M/S Jagdeo Yadav, Sohjana, Jhajha | CFL, Holder, PVC, Wire etc | 9,260 |
| 2. | M/S Jagdeo Yadav, Sohjana, Jhajha | CFL, Holder, PVC, Wire etc | 13,480 |
| 3. | श्री राम पुस्तक भण्डार, झाझा | पेपर टैग, फाइल | 2,940 |
| 4. | श्री राम पुस्तक भण्डार, झाझा | पेपर टैग, फाइल | 1,495 |
| | | | 27,175 |

193

इस सम्बन्ध में नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि भण्डार पंजी का संधारण कर लिया जायेगा।

भण्डार पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय तबतक व्यय की राशि ₹27,175 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

**8. श्रम सेस एवं आयकर कटौती की राशि संबंधित विभाग को प्रेषित नहीं**

रोकड़ बहियों, योजना पंजियों के नमूना जाँच में पाया गया कि योजनाओं से काटी गई श्रम सेस की राशि ₹82,751 एवं आयकर की राशि ₹1,83,602 संबंधित विभाग को प्रेषित नहीं किया गया था। विस्तृत विवरण परिशिष्ट– V पर दिया गया है।

उठाये गये आपत्ति के आलोक में बताया गया कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होते ही राशि को संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा कर दिया जाएगा।

जवाब संतोषजनक नहीं है। अतः सेस एवं आयकर कटौती की गई राशि को संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया जाय एवं जमा से संबंधित साक्ष्य/प्रमाण अगले अंकेक्षण को दिखलाया जाय।

**9. सैरात बन्दोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं होने से सरकार को राजस्व क्षति ₹0.23 लाख**

इंडियन निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17 (1)(डी) के अनुसार अचल सम्पत्तियों के बंदोबस्ती निबंधन/पंजीकरण होना आवश्यक है।

इंडियन स्टाम्प एक्ट के सिडयूल ।(अ) के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण बंदोवस्ती की राशि के 03 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव बिहार सरकार (पत्रांक 1920/रजि0/मु0 सचिव दिनांक 14.08.02) एवं सचिव सह महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन (पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05) के द्वारा सभी विभागों को पूर्व में ही सूचित किया गया है।

झाझा, नगर पंचायत के बंदोवस्ती से संबंधित संचिका के नमूना जांच में पाया गया कि नगर पंचायत अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के सैरातों की बंदोवस्ती में कार्यपालक पदाधिकारी एवं बंदोबस्तकार के बीच एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं किया गया था और न ही स्टाम्प पेपर का मूल्य संबंधित बन्दोबस्तकारों से वसूला गया था।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में की गई सैरातों की बंदोबस्ती तथा स्टाम्प शुल्क नहीं वसूली गई राशि का विवरण इस प्रकार है–

| क0सं0 | सैरात का नाम | बन्दोबस्तकार का नाम | बन्दोबस्ती की राशि | स्टाम्प शुल्क @3% | वसूली किया गया स्टाम्प शुल्क | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सब्जी बाजार | श्री कामदेव प्रसाद | 31,500 | 945 | – | 945 |
| 2. | बस पड़ाव | श्री अजय कु0 यादव | 7,85,000 | 23,550 | 1100 | 22450 |
| | | | | 24,495 | 1100 | 23395 |

इस प्रकार सैरातों की बंदोवस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर नहीं करने के कारण राज्य सरकार को ₹23395 के राजस्व की क्षति हुई।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में ध्यान दिया जायेगा। जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः उपर्युक्त राजस्व क्षति ₹23395 की भरपाई इसके जिम्मेवार व्यक्तियों से कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

**10(क) प्राक्कलन में वर्णित मदों में विचलन के कारण अधिक भुगतान ₹25,308.00**

| | |
|---|---|
| योजना का नाम | वार्ड न0 22 में कैलाश वर्णवाल से कृष्ण वर्णवाल के घर तक पी.सी.सी. कार्य |
| योजना संख्या व मद | 61/2013–14 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग |
| प्राक्कलित राशि | ₹1,11,700.00 |
| मापी की राशि | ₹1,08,888.00 |
| वास्तविक व्यय | ₹1,08,880.00 |
| संवेदक का नाम | श्री विमल कुमार गुप्ता |
| बिक्री कर कटौती | ₹5444.00 |
| आयकर कटौती | ₹2467.00 |
| श्रम सेस कटौती | ₹1088.00 |

मापी पुस्तिका एवं प्राक्कलन के अवलोकन में यह पाया गया कि प्राक्कलन के अनुसार कुल 149.90 फीट की लम्बाई में ब्रीक फ्लैट सोलिंग एवं पी.सी.सी. कार्य किया जाना था परन्तु संवेदक द्वारा कुल 237.10 फीट की लंबाई में कार्य किया गया। इस कारण, चौड़ाई में फेरबदल करना पड़ा।

बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 182 एवं 183 के अनुसार जब अन्य किसी कारण से मंजूर प्राक्कलन में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ती हो जाने की संभावना हो अथवा जबकि सारभूत विस्तार या विचलन के चलते पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता हो जाय तब जरुरी है कि एक पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जाय। साथ ही यदि यह वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक हो तो सक्षम पदाधिकारी पदानुक्रम में एक स्तर उपर वाला होगा एवं यदि यह 20 प्रतिशत से अधिक हो तो विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

परन्तु नगर पंचायत द्वारा कोई पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः 10 प्रतिशत से अधिक विचलन अमान्य है।

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि जॉचोपरांत आवश्यक कारवाई की जायगी। जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि जॉच के पश्चात ही आपत्ति की गई है।

191

अतः, 87.2 फीट की लम्बाई में किया गया कार्य जिसका कार्य मूल्य ₹25,308.00 {(17125.67 + 51688) X 87.2/237.1} होता है का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

**(ख)** पुनः मापी पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 8 पर **Drain slow bed** कार्य दर्षाया गया था जिसका विवरण निम्नवत है –

Drain slow bed

$54'0'' \times 10' \times \frac{1''+2''}{2} = 5.60$ cft

$(100' + 18') \times 10'' \times \frac{2''+3''+2.5''+3.5''}{4} = 21.85$ cft

Total = 27.45 cft = 0.77 $M^3$

Value = 0.77@ 4102.30 per $M^3$ = Rs. 3158.77

परन्तु इस कार्य का प्रावधान प्राक्कलन में नहीं पाया गया था। बगैर प्राक्कलन में प्रावधान किये कार्य का कियान्वयन अनियमित है।

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि जॉचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायगी। जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि जॉच के पश्चात ही आपत्ति की गई है।

अतः, ₹3158.77 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

(ग) बिक्री कर, आयकर एवं श्रमसेस के रुप में कटौती की गई राशि का प्रेषण लेखापरीक्षा में नहीं दिखाया गया। इसे अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

**(ग) अधिक भुगतान ₹66,472.00**

| | |
|---|---|
| योजना का नाम | वार्ड न0 13 में फॉड़ी चौक से वर्णवाल मेडिकल के घर तक पी.सी.सी. कार्य |
| योजना संख्या व मद | 67/2013–14 नगर निकाय |
| प्राक्कलित राशि | ₹4,89,300.00 |
| मापी की राशि | ₹ 4,84,487.00 |
| वास्तविक व्यय | ₹ 4,84,487.00 |
| संवेदक का नाम | श्री विमल कुमार गुप्ता |
| कार्यादेश की तिथि | पत्रांक 791 दिनांक 31.12.13 |
| कार्य समाप्ति की नियत तिथि | 3 माह |
| कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | 30.03.2014 |

प्राक्कलन एवं मापी पुस्तिका के अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि चिप्स की ढुलाई भाड़ा प्राक्कलन में निर्धारित मात्रा से काफी अधिक किया गया था जिसके फलस्वरुप संवेदक को ₹66,472.44 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवत है –

प्राक्कलन के अनुसार चिप्स ढुलाई भाड़ा

23.50 घनमीटर ₹1973.45 प्रति घनमीटर की दर से – ₹ 46,408.90

मापी पुस्तिका के अनुसार भुगतान किया गया भाड़ा

57.20 घनमीटर ₹1973.45 प्रति घनमीटर की दर से – ₹ 1,12,881.34

अधिक भुगतान – ₹ 66,472.44 (112881.34 – 46408.90)

पुनः चिप्स ढुलाई में अधिक भुगतान किये जाने के कारण पी.सी.सी. कार्य जो 83.8423 घनमीटर में किया जाना था वह मात्र 63.56 घनमीटर में ही किया जा सका।

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 182 एवं 183 के अनुसार जब अन्य किसी कारण से मंजूर प्राक्कलन में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ती हो जाने की संभावना हो अथवा जबकि सारभूत विस्तार या विचलन के चलते पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता हो जाय तब जरुरी है कि एक पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जाय। साथ ही यदि यह वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक हो तो सक्षम पदाधिकारी पदानुक्रम में एक स्तर उपर वाला होगा एवं यदि यह 20 प्रतिशत से अधिक हो तो विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

नगर पंचायत द्वारा कोई पुनरीक्षित प्राक्कलन पेश नहीं किया गया था जो उपरोक्त नियम का उल्लंघन है। अतः, अधिक भुगतान की गई राशि ₹66,472.00 की वसूली की जाय तथा उसे अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाय।

**11. कालातीत अग्रिम ₹1,30,000.00**

अग्रिम पंजी के अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि वित्तिय वर्ष 2006–07 में श्री संजय कुमार सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत झाझा को अभिश्रव संख्या 52 दिनांक 26.07.2006 द्वारा चापाकल लगाने हेतु कुल ₹3,00,000.00 अग्रिम प्रदान किया गया था परन्तु उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। तदोपरान्त विविध रसीद सं. 13366 दिनांक 21.03.2009 द्वारा ₹1,70,000.00 उनके द्वारा वापस कर दिया गया तथा शेष ₹1,30,000.00 लेखापरीक्षा समाप्ति तक बकाया रह गया था। चुँकि अग्रिम दिये हुए काफी समय (तीन वर्ष से अधिक) व्यतीत/बीत चुका है तथा अग्रिम कालातीत हो चुका है।

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि शीघ्र वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

# TAN

**1. सरकारी अनुदान**

नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत अनुदान पंजी तथा सामान्य रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवधी में प्राप्त अनुदानो की कुल राशि ₹3,72,39,228 था जिसका विवरण परिशिष्ट– VII पर दिया गया है। अनुदान पंजी का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया था जिसके कारण पूर्व का अवशेष, अनुदान प्राप्तियों के साथ इनका योग, अनुदानों में से किया गया कुल व्यय तथा दिनांक 31.03.14 को अवशेष, अनुदानों की वास्तविक स्थिति ज्ञात नही की जा सकी।

इस सम्बन्ध में नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अनुदान पंजी का संधारण समुचित तरीके से कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

**2. बकाया अग्रिम ₹2.25 लाख**

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान कोई अग्रिम नहीं दिया गया था। अग्रिम पंजी में दर्ज प्रविष्टि एवं लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार दिनांक 31.03.2014 तक विभिन्न कर्मचारियों के पास कुल ₹225891.96 बकाया अग्रिम था जिसका विस्तृत विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट– VIII में दिया गया है।

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि शीघ्र वसूली हेतु आवश्यक कारवाई की जा रही है।

अतः, बकाया अग्रिमों की वसूली/समायोजन हेतु उचित एवं प्रभावी कदम उठाया जाय।

—हस्ता0—

**संजीव नयन**

(स0ले0प0अधि0)

—अनुमोदित—

उपमहालेखाकार (एस0एस0– I)

——सह——

स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

सं0–एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 दिनांक–

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, झाझा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवदेन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं / विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जबाबदेही का दावा नही करता है।

– ह0 –
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सोशल सेक्टर –1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0– एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / 14/14/70/2180 दिनांक– 16.01.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, जमुई

16/01/15
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सोशल सेक्टर –1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

परिशिष्ट – 1

[परिषिष्ट–1]

## लेखा परीक्षा के दौरान जाँच किये गये अभिलेखों / पंजियों की सूचि

(प्रतिवेदन की कंडिका 3 से संदर्भित )

1. लेखापाल रोकड़ बही।
2. दैनिक संग्रह पंजी।
3. विविध रसीदें।
4. गृहकर रसीदें।
5. सहायक रोकड़ बहियाँ।
6. योजना संचिका ~~(आंषिक)~~
7. रसीदों के भण्डार पंजी।
8. अनुदान पंजी
9. योजना पंजी
10. बजट संचिका
11. बन्दोवस्ती संचिकाएँ।
12. अभिश्रव ~~(आंषिक)~~
13. बैंक पासबुक,कोषागार पासबुक तथा बैंक विवरणी
14. क्रय संचिकायें
15. लॉग बुक।
16. अग्रिम पंजी।
17. वेतन पंजी।
18. बैठक पंजी।

AAO

परिशिष्ट-II

परिषिष्ट-II

## लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत/असंधारित अभिलेखों/पंजियों की सूचि

(प्रतिवेदन की कंडिका 3 से संदर्भित )

1. माँग एवं वसूली पंजी।
2. कर्मचारियों के सेवा पुस्तिाकाएँ।
3. भविष्यनिधि पास बुक।
4. वाद पंजी।
5. सम्पति पंजी।
6. ऋण पंजी।
7. बिल पंजी।
8. भविष्य निधि जमा संचिका।
9. कर पुनर्निधारण पंजी/संचिका।
10. जमा पंजी।
11. समायोजन पंजी।
12. लेखापरीक्षा पंजी।
13. बैंक समाधान विवरणी।
14. सेवानिवृत्ति लाभ पंजी।
15. टिनटिकट।
16. अवकाष पंजी।
17. टेलीफोन पंजी।
18. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सूचि।
19. जन्म एवं मृत्यु पंजी।
20. म्यूटेषन पंजी।

परिशिष्ट-III, कंडिका 1, भाग-II, खण्ड (ख) 

निकाय का नाम :- नगर पंचायत, झाझा (जमुई)

मकान कर मांग एवं वसूली का प्रतिवेदन वर्ष :- 2013-14 का

| क्र० | मद | पूर्व का बकाया 31-3-13 तक | 2013-14 की मांग | कुल योग | वसूली | अवशेष की राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | मकान कर (सरकारी एवं निजी) | 3187704-00 | 653208-00 | 3840912-00 | 213462-00 | 3627450-00 | |
| 2 | शिक्षा सेस | 1472904-00 | 326604-00 | 1799508-00 | 107043-00 | 1692465-00 | |
| 3 | स्वास्थ्य सेस | 1444850-00 | 326604-00 | 1771454-00 | 106842-00 | 1664612-00 | |
| 4 | रोड सेस | 720388-00 | 163302-00 | 883690-00 | 53537-00 | 830153-00 | |
| | योग :- | 6825846-00 | 1469718 00 | 8295564-00 | 480884-00 | 7814680-00 | |

ओमप्रकाश सिंह
12-6-14
T.C

16.6.14

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत
झाझा, जमुई
16/6/14